>

Title: Need to give grant to animal keeper for developing the pasture.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने चारागाह विकास के लिए अनुदान योजना प्रारम्भ की तथा सभी राज्यों के पशुपालन विभाग को नोडल एजेन्सी बनाकर काश्तकारों से आवेदन प्राप्त किये और उन्हें यह कहा गया था कि यदि आप खेती की जमीन पर चारागाह लगाओगे तो आपको अनुदान देंगे। इसके लिए 20 बीघे की शर्त रखी गई थी, उन्होंने चारागाह लगा लिये। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र से भी लगभग 700 आवेदन पत्र स्थानीय पशुपालन विभाग से अनुमोदित होकर राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग की अनुशंसा के साथ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को भेजे गये। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी मेरे क्षेत्र के पशुपालकों को भारत सरकार ने किसी भी तरह का अनुदान स्वीकृत नहीं किया है। मैं यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूं कि बीकानेर थार रेगिस्तान का हृदय स्थल है और समय-समय पर अकाल व सूखे की मार झेलता रहता है। क्षेत्र में पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसके विकसित होने पर सूखा और अकाल पड़ने के बाद भी लोगों का पलायन रुकेगा एवं चारागाह विकसित होने से दुग्ध व्यवसाय में भी उन्नति होने के अवसर उपलब्ध होंगे। चूंकि विÂषय किसानों एवं पशुपालकों से सीधा जुड़ा हुआ है। अत: भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में लम्बित जितनी भी पत्रावली हैं उन्हें अविलम्ब स्वीकृत किया जाए, जिससे कि पशुपालकों एवं किसानों को वांछित योजना का लाभ प्राप्त हो सके।